न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 29/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00032

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

1. श्री अंकुश जैन पुत्र श्री बलभद्र जी जैन मैसर्स – एस.आर. मार्ट कॉलेज रोड, बॉसवाडा
2. श्री हितेश सेठ पुत्र श्री बाबुलाल जी जैन मैसर्स – सेठ ब्रदर्स, पुरानी जेल रोड बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा (राज) के द्वारा दिनांक 24–06–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 08–01–2020 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स एस.आर. मार्ट कॉलेज रोड, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री अंकुश जैन पुत्र श्री बलभद्र जी जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **धनीया पाउडर (ब्राण्ड पुष्प)** की 500–500 ग्राम के 15 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त **धनीया पाउडर (ब्राण्ड पुष्प) के चार पैकेट** विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **धनीया पाउडर (ब्राण्ड पुष्प) के चार पैकेट** पर लेबल जिस पर डी. ओ एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-728 [illegible] कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं [illegible] उक्त चार नमुना नमूना पैकेट को नियमानुसार [illegible] उटकवर में सील बन्द [illegible] सील भागो में से एक नमूना भाग म[illegible] मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वा[illegible] प्रयोगशाला बॉसवाड[illegible] जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

करवाया। मैसर्स सेठ ब्रदर्स, पुरानी जेल रोड बॉसवाडा के मालिक ने धनिया पाउडर (पुष्प ब्राण्ड) खरीद बिल होने से मना किया है जिस पर इसे ही अन्तिम पार्टी माना गया है।

डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2021/54–55 दिनांक 09.02.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 08 दिनांक 19.01.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **धनीया पाउडर (ब्राण्ड पुष्प)** Violate Regulation 2.3.5 of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **धनीया पाउडर (ब्राण्ड पुष्प)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 24–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28.07.2021 को अभियुक्तगणो द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी. ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2021/54–55 दिनांक 09.02.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 08 दिनांक 19.01.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **धनीया पाउडर (ब्राण्ड पुष्प)** Violate Regulation 2.3.5 of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धा[illegible](A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड पाया गया है। विक्रेता द्वारा धन[illegible]का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 [illegible] की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वा[illegible]वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **धनीया पाउडर (ब्राण्ड पुष्प) मिस ब्राण्डेड** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री अंकुश जैन पुत्र श्री बलभद्र जी जैन मैसर्स – एस.आर. मार्ट कॉलेज रोड, बॉसवाडा को 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), श्री हितेश सेठ पुत्र श्री बाबुलाल जी जैन मैसर्स – सेठ ब्रदर्स, पुरानी जेल रोड बॉसवाडा को 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner